

**बिहार सरकार
कृषि विभाग**

!! अधिसूचना !!

अधिसूचना संख्या-01/ए०जी०(प्रो०)-01/2015(खण्ड)..... दिनांक-.....वित्त विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-4685 वि०(2) दिनांक-25.06.2003 संकल्प सं०-7566 दिनांक-14.07.2010, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-929 दिनांक-30.03.2011 तथा अन्य संगत परिपत्रों के आलोक में बिहार कृषि सेवा कोटि-07 (उद्यान) के निम्नांकित पदाधिकारियों को "रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010" के प्रावधानों के अन्तर्गत उनके नाम के सामने अंकित वेतनमान में अंकित वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में अंकित तिथि से प्रथम रूपांतरित वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	वरीयता क्रमांक	पदाधिकारी का नाम एवं पद नाम	सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि	प्रथम एम०ए०सी०पी०	अनुमान्यता की तिथि	वेतनमान
1	2	3	4	5	6	7
1	02/2016	श्री राकेश कुमार, उप निदेशक (उद्यान), मगध प्रमण्डल, गया	01.04.2005	प्रथम एम०ए०सी०पी०	01.04.2015	ग्रेड पे०-6600/-
2	03/2016	डॉ० राकेश कुमार, उप निदेशक (उद्यान), दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा	29.03.2005	प्रथम एम०ए०सी०पी०	29.03.2015	ग्रेड पे०-6600/-
3	04/2016	श्री नितेश कुमार राय, उप निदेशक (उद्यान), प्रशासन एवं मूल्यांकन	29.03.2005	प्रथम एम०ए०सी०पी०	29.03.2015	ग्रेड पे०-6600/-
4	05/2016	श्री देव नारायण महतो, उप निदेशक (उद्यान) (सब्जी, पुष्प एवं फल संरक्षण), बिहार	01.04.2005	प्रथम एम०ए०सी०पी०	01.04.2015	ग्रेड पे०-6600/-
5	06/2016	श्री संजय कुमार सिन्हा, उप निदेशक (उद्यान), तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर	29.03.2005	प्रथम एम०ए०सी०पी०	29.03.2015	ग्रेड पे०-6600/-
6	07/2016	श्री उपेन्द्र कुमार, उप निदेशक (उद्यान), पूर्णियां प्रमण्डल, पूर्णियां	01.04.2005	प्रथम एम०ए०सी०पी०	01.04.2015	ग्रेड पे०-6600/-

1. एम०ए०सी०पी० योजना के अधीन वित्तीय उत्क्रमण प्रदान किये जाने पर पदनाम वर्गीकरण या उच्चतर हैसियत में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. एम०ए०सी०पी० योजना के अधीन वित्तीय उत्क्रमण पदाधिकारी विशेष के लिये पूर्णतः व्यक्तिगत होगा और उसकी वरीयता की स्थिति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए वरीय पदाधिकारियों को इस आधार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय उत्क्रमण नहीं होगा कि उस वेतनमान में कनीय पदाधिकारी ने एम०ए०सी०पी० योजना के तहत उच्चतर वेतन प्राप्त कर लिया है।
3. प्रथम एम०ए०सी०पी० योजना के तहत वेतन नियतीकरण/निर्धारण संगत अधिसूचना/ संकल्प/परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।
4. भविष्य में संबंधित पदाधिकारियों के संवर्ग के संबंध में वित्त विभाग, बिहार, पटना अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा इनके वेतनमान से संबंधित यदि कोई निर्णय संसूचित किये जाते हैं तो वैसी स्थिति में यह वित्तीय उन्नयन तदनुसार प्रभावित होंगे और वित्तीय उन्नयन को संशोधित किया जा सकेगा।
5. यदि सक्षम प्राधिकार के द्वारा इस उन्नयन के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति उठायी जाएगी तो फलस्वरूप अधिक/कम भुगतान की गयी राशि को तदनुसार वसूली/सामंजन कर ली जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(विनोद कुमार)

सरकार के उप सचिव,
कृषि विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक-01/ए०जी०(प्रो०)-01/2015(खण्ड)

/कृ०, पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव,
कृषि विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक-01/ए०जी०(प्रो०)-01/2015(खण्ड)

/कृ०, पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार, पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव,
कृषि विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक-01/ए०जी०(प्रो०)-01/2015(खण्ड)

/कृ०, पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/प्रभारी ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० एवं दो हार्ड प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव,
कृषि विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक-01/ए०जी०(प्रो०)-01/2015(खण्ड)

/कृ०, पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-कृषि निदेशक, बिहार, पटना/विशेष सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/निदेशक (प्र०)-सह-अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव (प्रभारी स्थापना), कृषि विभाग, बिहार, पटना/अपर निदेशक (शष्य), कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/अपर निदेशक (शष्य), भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना/अपर निदेशक (कृषि अभि०), कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/राज्य नोडल पदाधिकारी, आत्मा, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण/निदेशक, पी०पी०एम०/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/संयुक्त कृषि निदेशक-सह-नियंत्रक, माप-तौल, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (शष्य), पाट, बिहार, पूर्णियाँ/संयुक्त निदेशक (शष्य), शिक्षा, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्य), प्रसार, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (कृ०अभि०), बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (रसायन), मिट्टी जांच प्रयोगशाला, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/सभी उप निदेशक, कृषि विभाग/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/सभी संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं प्रशाखा-2 तथा कार्यवाहक सहायक, कृषि विभाग, बिहार, पटना को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव,
कृषि विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक-01/ए०जी०(प्रो०)-01/2015(खण्ड)

/कृ०, पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना/सचिव, सभी विभाग, बिहार, पटना/माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, कृषि विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव,
कृषि विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक-01/ए०जी०(प्रो०)-01/2015(खण्ड) 3217

प्रतिलिपि:- उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना एवं आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
कृषि विभाग, बिहार पटना।
27.9.19